यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

मिसल नं0आई.डी./.....

मु0नं0 / दावा / 55 / 2019 / तारीख 17.06.2019

उनवान

फतेह सिंह पुत्र प्रेमसिंह , जाति –जाटव , निवासी–सिघानजट्ट,पाली, तहसील हिण्डौन जिला करौली(राज0)

——वादीगण (10)

बनाम

जगदीश पुत्र निरासी वगै0 जाति–जाटव निवासी– सिघानजट्ट,पाली, तहसील हिण्डौन ,जिला करौली (राज0)

——प्रतिवादीगण (11)

दावा बाबत– तकास्मा व स्थाईनिषेधाज्ञा

17.05.2019 – यह दावा वादी की ओर से श्री शांतिलाल करसोलिया वकील के जरिए पेश हुआ,दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.06.2019 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

24/6/19 पत्रावली आज पेश है। वकील वादी उपस्थित होकर, निवेदन किया जमा है मतभेद के मध्य आपसी समझौता हो गया है। लोक ~~अदालत~~ अदालत दीवानी में प्रकरण का आगे नहीं चला कर नोट किया जाता है।

अतः हम वादी0प्र0 के निवेदन को स्वीकार करते है तथा वादी का दावा धारा 53,188 R.T.A का नोटप्रेत में खारिज किया जाता है। पत्रावली देख0 शमारेकेपर डिसमिस्ट है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन